भारतीय राजनीति में नारी विमर्श

विक्रान्त पंवार
सहायक विधि अधिकारी
यू०पी०एस०आर०टी०सी०
गाजियाबाद (उ०प्र०)

सारांश

किसी राष्ट्र को बदलने का सबसे तेज तरीका यह है कि उस राष्ट्र' की महिलाओं का राजनीतिक विकास किया जाए।

महिलाएं किसी भी व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र की वास्तविक शिल्पकार होती हैं। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को वर्तमान स्तर तक पहुंचाने में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। प्राचीन भारत के समाज और राज्य में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। समय के बहाव के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में ह्रास और महिलाओं की उपस्थिति घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गई। इस स्थिति परिवर्तन के कारण भारतीय समाज और राजनीति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और सर्वत्र अशिक्षा, अंधविश्वास, अत्याचार और कुरीतियों का बोलबाला हो गया। भारतीय इतिहास में इस युग को अंधकार का काल कहां गया। यद्यपि इस अंधकार काल में भी कुछ महिला शासक अपनी योग्यता और साहस के बल पर राज्य राजनीति की अविरल आकाश गंगा में ध्रुव तारे की भांति चमकती रही।

आधुनिक भारत के निर्माण का समय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रारंभ हुआ। यह भारत के पुनर्जागरण और पुर्नउदित होने का काल है। इस काल में भारतीय महिलाओं ने अपने ऊपर लादी गई वर्जनाओ को लांघा और

अधिकांश भौतिक, सामाजिक तथा वैचारिक बंधनों को तोड़कर भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गई। राजनीति में महिलाओं के इस सम्मिलन के फलस्वरुप भारतीय राजनीति को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई और वह प्रगति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हुई।

शब्द कुंजी - शिल्पकार, अविरल, आकाश गंगा, पुनर्जागरण, सम्मिलन।

प्रस्तावना

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी समाज के लिए सभ्य समाज कहलाने का यह मापदंड है कि उस समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सम्मान एवं महत्व दिया जाता हो। वैदिक काल के उपरांत अधिकांश स्तरों पर महिलाएं अपमानित, उपेक्षित एवं शोषित होती रही हैं। महिलाओं की यही स्थिति भारत के राजनीतिक पटल पर भी दृष्टिगोचर होती है। दीर्घकालीन उपेक्षा व शोषण के उपरांत आधुनिक काल में महिलाओं ने भारत की राजनीति आजादी के समय अपने अदम्य साहस व विवेक का उपयोग करके आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा प्रदान की। भारतीय राजनैतिक आंदोलन के समय से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रवेश बढ़ने लगा और वर्तमान समय तक इस में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति को कालखंड की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन कालीन भारतीय राजनीति, मध्यकालीन भारतीय राजनीति, आधुनिक भारतीय राजनीति।

प्राचीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं को उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त था और राजनीतिक रूप से भी भारतीय महिलाएं सुदृढ अवस्था में थी। इस काल में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त था और प्रत्येक स्तर तथा

संस्था में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री व विदुषी आदि महिलाओं ने शासन व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह सत्य है कि कबीलाई संस्कृति के दौरान महिलाओं को कबीलों के निर्णयों में यथोचित स्थान प्राप्त नहीं था परंतु राज्य के जन्म के साथ-साथ राजा के राजसिंहासन के समीप ही रानियों के बैठने की व्यवस्था भी राज्यसभा में की गई। तत्समय राजा द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, उनमें रानियों के विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। यह रानियाँ अपने समय में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रही है।

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान एक ऐसा नाम रहा है जो मुस्लिम शासन व्यवस्था के समय में भी राज्य अध्यक्ष बनने में सफल रही है और सन् 1236 से सन् 1240 तक शक्ति का केंद्र बिंदु रही है। रानी रूद्रमा द्वारा कात्तिया क्षेत्र पर सन् 1259 से सन् 1289 तक शासन किया गया। मार्कोपोलो ने भी रानी रूद्रमा को एक समता वह न्याय प्रिय शासक बताया है। रानी दुर्गावती गोडवाना राज्य की सन् 1548 से सन् 1564 तक शासक रही और अकबर के विरुद्ध लड़ते हुये सन् 1564 में इन्होंने वीरगति प्राप्त की।

मध्यकालीन भारत में एक अन्य महिला चांद बीबी का नाम भी उल्लेखनीय है, जो सन् 1580 से सन् 1590 तक बीजापुर एवं सन् 1596 से सन् 1599 तक अहमद नगर की राज्याधिकारी रही। इसी कड़ी में देवी अहिल्या बाई होलकर का नाम भी उल्लेखनीय है, जो सन् 1766 से सन् 1795 तक अहमद नगर राज्य की शासक रही हैं। कित्तूर रानी चेनम्मा द्वारा भी कित्तूर रियासत पर सन् 1816 में शासन किया गया। इसके अतिरिक्त मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूरजहां एवं उसकी माता अस्मत बेगम भी

मुगल काल के दौरान सन् 1611 से सन् 1627 की अवधि में राज्य व्यवस्था के निर्णय में महत्वपूर्ण व प्रभावकारी भागीदारी रखती थी।

महाराजा शिवाजी की माता जीजाबाई के द्वारा सन् 1674 से सन् 1680 तक मराठा साम्राज्य के निर्णयों में प्रभावकारी भूमिका निभाई गई और शिवाजी द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनकी माता जीजाबाई के परामर्श के उपरांत ही अंतिम रूप से प्रभावी होते थे। भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय काल में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजी आधिपत्य से बचाने हेतु सन् 1858 के युद्ध में अपनी आहुति दे दी। इसी प्रकार रामगढ़ रियासत की रानी अवंती बाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद राजकाज संभाला और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए सन् 1857 में शहीद हो गई।

आधुनिक भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत में महिलाओं की दशा में तीव्र गति से सुधार आया है। यद्यपि सुधार के प्रयास पुनर्जागरण काल के दौरान ही राजा राममोहन राय व हरविलास सारदा जैसे समाजसेवी सुधारकों द्वारा प्रारंभ कर दिए गए थे। राजा राममोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरुप ही भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। श्री हरविलास सारदा के प्रयासो से 23 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित किया गया और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों पर कानूनी रूप से रोक लगाई गई।

भारत में मुगल काल की समाप्ति के उपरांत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता हेतु हुए स्वाधीनता आंदोलनों में भी महिलाओं द्वारा एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। इस श्रेणी में श्रीमती एनीबेसेंट जिनके द्वारा सन् 1907 से सन् 1933 तक तत्कालीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया गया और होम रूल लीग की स्थापना करके भारत की स्वतंत्रता का प्रयास किया गया, का नाम मुख्य पायदान पर है।

सरोजिनी नायडू जो एक कवियत्री व राजनीतिज्ञ थी, का भी तत्कालीन समय में अपना एक अलग स्थान था। श्रीमती नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय नेता थी एवं इनके द्वारा सन् 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए दांडी मार्च में भाग लिया गया। सन् 1947 में सरोजिनी नायडू को यूनाईटेड प्रोविंस की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सरोजिनी नायडू तत्कालीन भारत के सबसे बड़े प्रांत में राज्यपाल के पद पर आसीन रहते हुए अपनी योग्यता एवं नेतृत्व क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का भी नाम एक महत्वपूर्ण पायदान पर रखा जाता है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित सन् 1934 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड में चुनी गई थी। सन् 1936 में उनका चयन असेम्बली ऑफ यूनाईटेड प्रोविंस में हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सितंबर 1953 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवे सत्र की अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर चयनित होने वाली वे प्रथम महिला एवं प्रथम एशियन थी।

राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक सक्रिय महिला राजनीतिज्ञ के रूप में सम्मानित रहा है। वे सन् 1927 में ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस की सहसंस्थापक बनी थी और वर्ष 1933 में उनका चयन इस संस्था के अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। श्रीमती कौर द्वारा सन् 1930 में 240 मील लंबे दांडी मार्च में भाग लिया गया था और इस कारण ब्रिटिश सरकार ने रूष्ट होकर उन्हें जेल भेज दिया। राजकुमारी अमृत कौर द्वारा सन् 1945 में यूनेस्को की लंदन कॉन्फ्रेंस एवं सन् 1946 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री मंडल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अमृत कौर को सन् 1950 में विश्व स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी

जो कि स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 1963 से सन 1967 तक अपनी सेवाएं प्रदान की।

श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम भारतीय राजनीति में एक ध्रव तारे की भांति लिया जाता है। सन् 1966 के सन् 1984 के मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सत्ता के शीर्ष पद को सुशोभित किया है और समस्त विश्व के समक्ष भारतीय महिलाओं की योग्यता एवं विद्वता और दृढ़ता को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है। श्रीमती इंदिरा गांधी एक अत्यंत दक्ष प्रधानमंत्री के रूप में आज भी स्मरण की जाती हैं और भारतीय राजनीति में उनके निर्णयों को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर दृष्टांत के रूप में याद किया जाता है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा भी भारतीय राजव्यवस्था के शीर्ष पद अर्थात राष्ट्रपति पद को वर्ष 2007 से 2012 तक सुशोभित किया गया। इस पद पर वे भारत की प्रथम महिला है।

उक्त कड़ी में श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भी उल्लेखनीय है जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वर्ष 1998 से आसीन रहते हुए 19 वर्ष के रिकॉर्ड कालखंड में भारतीय राज व्यवस्था में नीति निर्धारक बिंदु की भूमिका निभाई है।

इन श्रेष्ठ पदों को सुशोभित करते हुए भारतीय राजनीति का संचालन करने वाली इन महिलाओं के अतिरिक्त निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय राजनीति में भी भारतीय महिलाओं की भूमिका और योगदान निसंदेह सराहनीय रहा है।

भारतीय राज्यों में से कई ऐसे राज्य हैं, जिनमें मुख्य सत्ताधारी दल के अध्यक्ष अथवा मुख्य विपक्षी दल की अध्यक्ष महिलाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। वर्तमान समय में भी भारत के कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री पदासीन हैं और

कई राज्यों में पदासीन रही हैं जिनके मुख्य उदाहरण निम्न बात हैं -

1. भारत के दक्षिणवर्ती प्रांत तमिलनाडु में सुश्री जे॰ जयललिता एक सशक्त मुख्यमंत्री के साथ-साथ राजनीतिक दल अन्नाद्रमुक की एकछत्र अध्यक्ष लंबे समय तक रही हैं। सन् 1991 से सन् 2016 के बीच सुश्री जे॰ जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। सुश्री जे॰ जयललिता मुख्यमंत्री रहने के साथ-साथ दक्षिण भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु अपने जीवन के अंतिम समय तक बनी रही।
2. भारत के बिहार प्रांत में भी सन् 1997 से सन् 2005 के बीच श्रीमती राबड़ी देवी 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री पद पर आसीन रही हैं।
3. उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुकी हैं। सुश्री मायावती द्वारा सन् 1995, 1997, 2002 से 2003 एवं 2007 से 2012 तक 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला गया है और आज भी सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदुओं में से एक हैं।
4. श्रीमती शीला दीक्षित केंद्रशासित प्रांत दिल्ली में सन् 1998 से सन् 2013 तक लगभग 15 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री रही हैं।
5. श्रीमती आनंदी बेन 22 मई 2014 से 4 अगस्त 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हैं।
6. वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया सन् 2013 से तथा इससे पूर्व में भी वह 2003 से 2008 के बीच इस पद पर कार्यरत रही है।
7. भारत की प्रथम आई॰पी॰एस॰ अधिकारी किरण बेदी पुडुचेरी की

लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं।

उक्त उल्लेखनीय नामों के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में 2 और महिलाएं भी ऐसी हैं जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मीरा कुमार 5 बार संसद सदस्य रही हैं तथा वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही हैं। वर्ष 2014 से 16वीं लोकसभा के स्पीकर पद पर सुमित्रा महाजन आसीन रही हैं। इन दोनों महिलाओं द्वारा भारत की राजनीति के शीर्ष सदन की कार्यवाहियों का संचालन बहुत ही प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया गया है।

महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक उपबंध

स्वतंत्र भारत में प्रथम दिन से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर मांग उठती रही। भारतीय संविधान रचयिताओं द्वारा भारतीय समाज में नारी की स्थिति के उत्थान हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए जिनमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी स्त्री एवं पुरुषों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन में सभी स्त्री-पुरुषों को अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय गणराज्य में सभी स्त्री-पुरुषों को समान रूप से प्रदान किया गया। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं। इसी भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई तथा अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के विशेष उपबन्ध किये गए हैं।

एक समय ऐसा था जब भारतीय राजनीति में राजकुमारियों, रानियों और बड़े राजनेताओं एवं उद्योगपतियों की पुत्रियों के लिए ही स्थान आरक्षित था। समाज का अत्यंत अल्प वर्ग सभी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व

करता हुआ प्रतीत होता था, परंतु 1960 के दशक के उपरांत इस स्थिति में विप्लवकारी बदलाव देखने को आया। न केवल राजनीति अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और विधा में तथा कैरियर के प्रत्येक प्रत्येक विकल्प में और उद्योगों के प्रत्येक प्रक्रम पर महिलाओं की प्रभावकारी उपस्थिति महसूस की जाने लगी। यद्यपि भारत में जीवन और कैरियर के सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने सफलता के नए आयाम प्राप्त किए हैं और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं, परंतु इन सब में भारतीय राजनीति में महिलाओं ने श्रेष्ठता और पद क्रम की उच्चतम ऊंचाइयों को छुआ है।

विश्व आर्थिक मंच 2016 के आंकड़ों के अनुसार 144 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजनीति में महिलाओं की सहभागिता और योगदान के दृष्टिगत भारत का 9वां स्थान है।

उक्त रैंक की प्राप्ति में 73वें व 74वें संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण योगदान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। इन दोनों संवैधानिक संशोधनों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। भारतीय व्यवस्था में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, जहां पर राजनीति का प्रारंभ होता है। आज इस प्रारंभिक बिंदु पर ही एक तिहाई से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं। इन एक तिहाई ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों में से अनेकों आज भी शिक्षा के प्रयास से कोसों दूर हैं, परंतु व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वे अपने प्रधान पद के दायित्वों का साहस के साथ निर्वहन कर रही है। नगर पंचायतों में भी एक तिहाई से अधिक पंचायत अध्यक्ष के पदों पर महिलाएं नीतियां बना रही हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रही हैं। जिला स्तरीय राजनीति में भी

जिला पंचायत अध्यक्ष के अनेक पद महिलाओं द्वारा सुशोभित किए जा रहे हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2017 में पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या 13.72 लाख थी, जो कुल निर्वाचित सदस्य संख्या का 44.2 प्रतिशत है। प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सामान्य निर्वाचिनो में भी महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2014 के सामान्य निर्वाचन में महिला मतों का प्रतिशत 65.63 रहा, जबकि इस चुनाव में पुरुष मतों का प्रतिशत 67.09 था।

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों ने महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं हेतु आरक्षित करने से संबंधित 108वां संविधान संशोधन विधेयक अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है।

आज लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 543 है परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद भी 543 सांसदों में मात्र 62 सांसद ही महिलाएं हैं। इसी प्रकार राज्यसभा की 236 सदस्य संख्या में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 28 तक सीमित है। उक्त आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भले ही कुछ करिश्माई व्यक्तित्व वाली महिलाओं ने राजनीति के शीर्ष बिन्दुओं को छू लिया हो परंतु सामान्य स्तर पर राजनीति के दोनों सदनों में महिलाओं की स्थिति अपितु उपस्थिति में बदलाव और बढ़ोतरी की नितांत आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उक्त विवेचन से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल से ही भारतीय राजनीति में महिलाओं का दर्जा और योगदान उच्च स्तरीय रहा है। भले ही सामाजिक रूप से महिलाओं की स्थिति अपेक्षा अनुरूप सुदृढ न

रही हो परंतु उनकी राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत रूप से मजबूत रही है। विभिन्न काल खंडों में महिलाएं राज्य अध्यक्ष रही हैं और उनके द्वारा प्रभावी ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन किया गया है। स्वामी विवेकानंद का कथन था कि 'जिस राष्ट्र में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है वह राष्ट्र ने तो वर्तमान में भविष्य में कभी महान बन सकता है'।

भारत के राजनीतिक पटल पर महिलाओं को सम्मान दिया गया है और इस सम्मान में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी भी हो रही है। यह भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार का निश्चयात्मक सूचक है।

आज भारतीय राजनीति का कोई ऐसा शिखर नहीं है जहां भारतीय महिलाओं ने अपना झंडा ने गाड़ा हो। भारतीय राजनीति के आरंभिक बिंदु ग्राम प्रधान से लेकर उच्चतम शिखर राष्ट्रपति पद तक पर महिलाओं की विजय का शंखनाद हो चुका है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, आत्मविश्वास व सफलता की तीव्रगति को देखते हुए यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं होगा कि निकट भविष्य में महिलाएं राजनीति के मैदान में सफलता के नए आयाम प्राप्त करेंगी।

अंत में यह कहना समीचीन होगा कि 'जीवन की कला को साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है'।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *विश्व आर्थिक मंच - वैश्विक लिंगभेद रिपोर्ट 2016*
2. *आर०सी० मजूमदार - द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल*
3. *सतीश चंद्रा - मध्यकालीन भारत का इतिहास*
4. *बिपिन चंद्रा - आधुनिक भारत का इतिहास*
5. *विभिन्न समाचार पत्र एवं सम्मानित लेखकों के विचार।*